


29/10/2020

पत्रावलीपत्र दुई) पेशे मर सरकार उपस्थित।
 बार-बार आवाज लगवाने के उपरांत भी
 अपीलार्थ अथवा अचिक्ता अपीलार्थ में से
 कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये
 मु.नं. 188/2018 उनवान सरकार बनाम तेजा
 में तहसीलदार दोसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक
 29-10-2018 के विरुद्ध अपीलार्थ दाय प्रस्तुत
 अपील अदम-दामरी एवं अदम पेरवी के
 खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दफ्तर
 न्यायालय को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय
 की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली के सल
 सुमार की गकर बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख गण्डार
 हो। निर्णय दाय दिनांक 29-10-2020 को
 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 जिला कलेक्टर
 दोसा